न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 52/2022

मधु गुप्ता जरिये रजिस्ट्रार जे.जे.टी. विश्वविद्यालय, चुड़ैला राजस्थानी सेवा संघ मुम्बई। तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू, (राज0)।

–अपीलान्ट

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बिसाऊ ,जिला झुन्झुनू (राज0)।

––रेस्पोंडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय 30.05.2022 न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ मुकदमा उनवानी सरकार बनाम मधुगुप्ता जरिये रजिस्ट्रार,जे.जे.टी.चुड़ेला, मु0नं0 17/2022 अं0 धारा 91 एल0 आर0 एक्ट मुकदमा नंबर 05/2021

उपस्थितिः–

1 .श्री सुरेन्द्र सिंह भूपेश , एडवोकेट –– ––––––अपीलान्ट की ओर से ।

2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता ––––––– राज0 सरकार की ओर से ।

–निर्णय– दिनांक :– 11.6.2025

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 30.05.2022 मुकदमा नंबर 17/2022 बमुकदमा उनवानी सरकार, बनाम मधुगुप्ता जरिये रजिस्ट्रार, जे.जे.टी. चुड़ेला, अं0 धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि – "भूमि गत खसरा नंबर 49 उक्त विश्वविद्यालय को आवंटित की गई थी। उक्त गत खसरा नंबर 49 में किसी प्रकार का कोई चिन्ह या कच्चा पक्का निर्माण नहीं था,परन्तु सेटलमेन्ट के बाद

जो नक्शा बनाया गया है जिसमें खसरा नंबर 170 को गलत रूप से तरमीम कर दिया गया है। उपरोक्त तथ्यों को नजर अंदाज कर योग्य अदालत मातहत ने गलती कानूनी की है। संस्था को श्रीमान जिला कलेक्टर झुंझुनू द्वारा आदेश क्रमांक प 12 (3)(12) राज. /2004/1309–1318 दिनांक 31.3.2006 से ग्राम चुड़ेला के खसरा नंबर 173 में से 5.29 हैक्टर व खसरा नंबर 194 में से 6.88 हैक्टर कुल 12.14 हैक्टर भूमि श्री राजस्थान सेवा संघ झुंझुनू (स्व–पौषित विश्व विद्यालय) को नियमानुसार आवंटित हुई है। जिसका नामान्तरण संख्या 15 दर्ज होकर दिनांक 1.4.2006 को स्वीकृत हुआ तथा उप शासन सचिव (राजस्व ग्रुप–3) 05 दिनांक 06.05.2006, श्रीमान जिला कलेक्टर झुंझुनू के आदेश क्रमांक सम/2720–30 दिनांक 13.6.2006 से आवंटित भूमि का संपरिवर्तन आदेश होने से नामान्तरकरण संख्या 17 दर्ज होकर दिनांक 24.6.2006 को संपरिवर्तन का स्वीकार हुआ। सड़के के उत्तर दिशा की भूमि खसरा नंबर 173 किस्म गैर मु. चारागाह में से आवंटन के नये खसरा नंबर 787/173 रकबा 5.26 हैक्टर में जे.जे.टी. विश्वविद्यालय का भवन व छात्रावास बने हुये हैं। संपरिवर्तन सुदा भूमि में 2006 से ही चार दीवारी है,इसलिए उपरोक्त भूमि संस्था की निजी भूमि होने से किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। उपरोक्त तथ्यों को नकार कर अदालत मातहत ने कानूनी गलती की है। रेफरेन्स अं0धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 232 आर.टी.एक्ट के तहत एक रेफरेन्स उनवानी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनू बनाम जे.जे.टी. विश्वविद्यालय चुड़ेला मु0नं. 2/2014 का श्रीमान न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,झुंझुनू से समक्ष पेश किया गया जिसको न्यायालय श्रीमान ने निर्णय दिनांक 15.5.2017 द्वारा यह कहते हुये अस्वीकर दिया कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। विश्वविद्यालय को भूमि आवंटन से लेकर अब तक की सारी कार्यवाही राजस्व नियमों एवं कानूनो के अनुसरण में की गई है तथा सम्पूर्ण विश्वविद्यालय चार दीवारी सीमा में संचालित है। उक्त चार दीवारी के अलावा आवंटन स लेकर आज दिनांक तक कोई निर्माण अर्थात चार दीवारी संस्था द्वारा नहीं की गई है। खसरा नंबर 173 रकबा 0.40 हैक्टर में अतिक्रमण के सम्बन्ध में जोरी नोटिस निराधार है,क्योंकि पूर्व में रेफरेंस प्रकरण में भी खसरा नंबर173 का कोई उल्लेख नहीं है। संस्था के विरूद्ध कुछ असामाजिक तत्व चारागाह में अतिक्रमण की झूठी शिकायत पेश करते हैं

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
झुंझुनू

जिससे पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी सबूत व साक्ष्य के संस्था को बार–बार परेशान किया जा रहा है। दिनांक 4.2.2022 को अपीलांट की भूमि नपति व सीमा ज्ञान की रिपोर्ट अपीनलांट को बिना सूचित किये अर्थात अपीलांट के जानकारी के अभाव में बनाया गया है जो असामाजिक तत्वों व जनप्रतिनिधियों के दबाव में आकर तैयार की गई है जिसको अदालत मातहत ने सही मानकर निर्णय पारित किया है, जो खारिज होने योग्य है। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश दिनांक 30.05.2022 मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि– संस्था को श्रीमान जिला कलेक्टर झुंझुनू द्वारा आदेश कमांक प 12 (3)(12) राज./2004/1309–1318 दिनांक 31.3.2006 से ग्राम चुड़ेला के खसरा नंबर 173 में से 5.29 हैक्टर व खसरा नंबर 194 में से 6.88 हैक्टर कुल 12.14 हैक्टर भूमि श्री राजस्थान सेवा संघ झुंझुनू (स्व–पौषित विश्व विद्यालय) को नियमानुसार आवंटित हुई है। जिसका नामान्तरण संख्या 15 दर्ज होकर दिनांक 1.4.2006 को स्वीकृत हुआ तथा उप शासन सचिव (राजस्व ग्रुप–3) 05 दिनांक 06.05.2006, श्रीमान जिला कलेक्टर झुंझुनू के आदेश कमांक सम/2720–30 दिनांक 13.6.2006 से आवंटित भूमि का संपरिवर्तन आदेश होने से नामान्तरकरण संख्या 17 दर्ज होकर दिनांक 24.6.2006 को संपरिवर्तन का स्वीकार हुआ। सड़के के उत्तर दिशा की भूमि खसरा नंबर 173 किस्म गैर मु. चारागाह में से आवंटन के नये खसरा नंबर 787/173 रकबा 5.26 हैक्टर में जे. जे.टी. विश्वविद्यालय का भवन व छात्रावास बने हुये हैं। संपरिवर्तन सुदा भूमि में 2006 से ही चार दीवारी है,इसलिए उपरोक्त भूमि संस्था की निजी भूमि होने से किसी प्रकार का कोई अतिकमण नहीं है। रेफरेन्स अं0धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 232 आर.टी.एक्ट के तहत एक रेफरेन्स उनवानी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनू बनाम जे.जे.टी. विश्वविद्यालय चुड़ेला मु0नं. 2/2014 का श्रीमान न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,झुंझुनू से समक्ष पेश किया गया जिसको न्यायालय

श्रीमान ने निर्णय दिनांक 15.5.2017 द्वारा यह कहते हुये अस्वीकर दिया कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। विश्वविद्यालय को भूमि आवंटन से लेकर अब तक की सारी कार्यवाही राजस्व नियमों एवं कानूनो के अनुसरण में की गई है तथा सम्पूर्ण विश्वविद्यालय चार दीवारी सीमा में संचालित है। उक्त चार दीवारी के अलावा आवंटन से लेकर आज दिनांक तक कोई निर्माण अर्थात चार दीवारी संस्था द्वारा नहीं की गई है। खसरा नंबर 173 रकबा 0.40 हैक्टर में अतिक्रमण के सम्बन्ध में जोरी नोटिस निराधार है, क्योंकि पूर्व में रेफरेंस प्रकरण में भी खसरा नंबर 173 का कोई उल्लेख नहीं है। संस्था के विरूद्ध कुछ असामाजिक तत्व चारागाह में अतिक्रमण की झूठी शिकायत पेश करते हैं जिससे पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी सबूत व साक्ष्य के संस्था को बार–बार परेशान किया जा रहा है। दिनांक 4.2.2022 को अपीलांट की भूमि नपति व सीमा ज्ञान की रिपोर्ट अपीलांट को बिना सूचित किये बनाया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि हल्का पटवारी चुड़ेला की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम चुड़ेला स्थित सरकारी भूमि खसरा नंबर 170 कुल रकबा 0.10 हैक्टर किस्म गै0मु0 चारागाह में से 0.10 हैक्टर भूमि पर चारदीवारी बनाकर व खसरा नंबर 173 रकबा कुल 20.41 हैक्टर किस्म गै0मु0 चारागाह में से 0.40 हैक्टर भूमि पर चार दीवारी व पक्का निर्माण कर अवैध अतिक्रमण किया गया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलांट को एल.आर.एक्ट. 1956 की धारा 91 के अंतर्गत विधिवत नोटिस जारी किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के जवाब के क्रम में भू0अ0निरीक्षक कोलिण्डा की अध्यक्षता में टीम गठित कर विवादित भूमि की नपति कर भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर निर्णय दिनांक 30.05.2022 पारित किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हल्का पटवारी चुड़ेला की रिपोर्ट कि" अपीलांट द्वारा ग्राम चुड़ेला स्थित

सरकारी भूमि खसरा नंबर 170 कुल रकबा 0.10 हैक्टर किस्म गै0मु0 चारागाह में से 0. 10 हैक्टर भूमि पर चारदीवारी बनाकर व खसरा नंबर 173 रकबा कुल 20.41 हैक्टर किस्म गै0मु0 चारागाह में से 0.40 हैक्टर भूमि पर चार दीवारी व पक्का निर्माण कर अवैध अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलांट को धारा 91 एल.आर.एक्ट. 1956 के अंतर्गत विधिवत नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलांट द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के जवाब के क्रम में भू0अ0 निरीक्षक कोलिण्डा की अध्यक्षता में टीम गठित कर विवादित भूमि की नपति कर भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर निर्णय दिनांक 30.05.2022 पारित किया गया हैं। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे उक्त राजकीय भूमि पर उनके द्वारा किया गया अतिक्रमण वैद्य साबित होता हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियां को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2022 में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2022 उनवानी सरकार बनाम मधु गुप्ता, रजिस्ट्रार जे.जे.टी विश्वविद्यालय, चुड़ेला राजस्थानी सेवा संघ मुम्बई मु0नं0 17/2022 धारा 91 एल.आर.एक्ट यथावत रखा जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.6.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू